



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं- 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20—जनवरी 26, 2007 (पौष 30, 1928)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20—JANUARY 26, 2007 (PAUSA 30, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांघिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएँ जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएँ सम्मिलित हैं।
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

गत पाल्पान, सड़क परिवहन और जलमार्ग विभाग
(भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण)
नई दिल्ली, दिनांक 2006

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सा. का. नि. प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्ण अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और शीर्षक - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'अधिनियम' से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है;

(ख) 'अप्यक्ष' से प्राधिकरण का अन्वय अभिप्रेत है;

(ग) 'अन्तर्देशीय जलमार्ग' से अन्तर्देशीय जलमार्ग अधिनियम, 1917 के अर्थों परिभाषित कोई नहर, नदी, झील अथवा अन्य कोई कृत्रिम जल नालिका है;

(घ) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के यहाँ अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3 अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण - (1) सब प्रस्तावित 2000 टन को डेढ़ टन (डी0 डब्ल्यू0 टी0) और 800 टन तक गाल बोगे वाले पुरुष - टो युनिटों में टम - बाजें करने वाले जलमार्गों को सुरक्षित रूप में परिवर्तन करने के लिए जलमार्गों को निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) वर्ग - I - निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग

(i) नदियाँ - न्यूनतम गहराई 1.2 मीटर, तल की चौड़ाई 30 मीटर, झुके हुए व्यास की लंबाई 300 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 4 मीटर और स्तंभों के बीच 30 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी, और

(ii) नहरें - न्यूनतम गहराई 1.5 मीटर, तल की चौड़ाई 20 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 300 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 4 मीटर और स्तंभों के बीच क्षैतिज निकासी, 20 मीटर।

(ख) वर्ग - II - निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग :-

(i) नदियाँ - 1.4 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 40 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 500 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 5 मीटर और स्तंभों के बीच 40 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी, और

(ii) नहरें - न्यूनतम गहराई 1.8 मीटर, तल की गहराई 30 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 600 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 5 मीटर और स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर निकासी 30 मीटर।

(ग) वर्ग - III - निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग

(i) नदियाँ - 1.7 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 50 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 700 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 7 मीटर और स्तंभों के बीच 50 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी, और

(ii) नहरें - न्यूनतम गहराई 2.2 मीटर, तल की गहराई 40 मीटर, झुके हुए व्यास की लंबाई 700 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 7 मीटर और स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर निकासी 40 मीटर।

(घ) वर्ग - IV - निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग :-

(i) नदियाँ - 2.0 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 50 मीटर, झुके हुए व्यास की लंबाई 800 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 10 मीटर और स्तंभों के बीच 50 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी, और

(ii) नहरें - न्यूनतम गहराई 2.5 मीटर, तल की चौड़ाई 50 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 800 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 10 मीटर और स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर निकासी 50 मीटर।

(ङ) वर्ग - V - निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग :-

(i) नदियाँ - 2.0 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 80 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 800 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 10 मीटर और केवल नदियों के मामले में स्तंभों के बीच 80 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी।

(घ) वर्ग - VI - निम्नलिखित आकृति के माध्यम से चैनल वाले जलमार्ग -

(i) नदियाँ - 2.75 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 80 मीटर, झुके हुए किनारे की लंबाई 900 मीटर, ऊर्ध्वोपर निकासी 10 मीटर और स्तनों के बीच 80 मीटर क्षैतिज निकासी, और

(ii) नहरें - न्यूनतम गहराई 3.5 मीटर, तल की 60 मीटर झुके हुए व्यास की लंबाई 900 मीटर, ऊर्ध्वोपर निकासी 10 मीटर और स्तनों के बीच क्षैतिज निकासी 80 मीटर।

(ङ) वर्ग - VII - निम्नलिखित आकृति के माध्यम से चैनल वाले जलमार्ग -

(1) नदियाँ - न्यूनतम 2.75 मीटर और उससे अधिक गहराई, तल की चौड़ाई 100 मीटर और उससे अधिक, झुके हुए किनारे की लंबाई 900 मीटर, ऊर्ध्वोपर निकासी 10 मीटर और केवल नदियों के मामले में स्तनों के बीच 100 मीटर क्षैतिज निकासी।

(2) 3 (1) में उल्लिखित सभी वर्गों के जलमार्गों के लिए पारंपरिक प्रयोजन हेतु पावर केबल अथवा टेलीफोन लाइन अथवा केबलों के लिए ऊर्ध्वोपर निकासी निम्नलिखित होगी -

(i) टेलीफोन लाइन सहित निम्न वोल्टेज पारंपरिक लाइन - 18.5 मीटर

(ii) उच्च वोल्टेज पारंपरिक लाइन जो 110 किलो वोल्ट से अधिक न हों - 19.0 मीटर

(iii) उच्च वोल्टेज पारंपरिक लाइन जो 110 किलो वोल्ट से अधिक हों - 19.0 मीटर

तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलो वोल्ट के लिए अलग से 1 सेंटी मीटर

(3) पानी के अन्दर के पाइप लाइन के मामले में पावर केबल और अन्य केबलों हेतु लागू होने वाले मानक स्थान की दशा और नौचालन संबंधी अंशों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे।

परन्तु यह वर्गीकरण तभी प्रभावी होगा जब -

(क) चैनल में न्यूनतम गहराई वर्ष में सामान्यतया लगभग 330 दिन उपलब्ध हो।

(ख) जलमार्गों के ऊपर काल सरवना पर ऊर्ध्वोपर निकासी जलमार्गों की पूरी चौड़ाई में प्रत्येक भाग में कम से कम 75% उपलब्ध हो।

इस विनियम के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण - विभिन्न प्रकार के चैनल में ऊर्ध्वोपर निकासी हेतु सर्वोत्तम स्तर होगा -

(i) नदियों हेतु नौचालन संबंधी उच्च बाढ़ स्तर (एन एच एफ एल) विगत बीस वर्षों की अवधि में किसी वर्ष में 5% की बारंबारता से उच्चतम बाढ़ स्तर है।

(ii) पारंपरिक चैनलों हेतु अधिकतम जल स्तर।

(iii) अन्य चैनलों हेतु सब तरह से पूर्ण आपूर्ति स्तर।

4. (1) वर्ग - I के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी कुलई क्षमता लगभग 100 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 32 मीटर कुल लंबाई, 5 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.0 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टन और दो बार्जों के मेल से बने 200 टन डेड वेट टनेज (लगभग 80 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 5 मीटर और 1.0 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(2) वर्ग - II के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी कुलई क्षमता लगभग 300 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 45 मीटर कुल लंबाई, 8 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.2 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टन और दो बार्जों के मेल से बने 600 टन डेड वेट टनेज (लगभग 110 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 8 मीटर और 1.2 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(3) वर्ग - III के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी कुलई क्षमता लगभग 500 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 68 मीटर कुल लंबाई, 9 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टन और दो बार्जों के मेल से बने 1000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 141 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 9 मीटर और 1.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(4) वर्ग - IV के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी कुलई क्षमता लगभग 1000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 70 मीटर कुल लंबाई, 12 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टन और दो बार्जों के मेल से बने 2000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 170 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 12 मीटर और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(5) वर्ग - V के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी कुलई क्षमता लगभग 1000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 70 मीटर कुल लंबाई, 12 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टन और चार बार्जों के मेल से बने 4000 टन डेड वेट टनेज (लगभग 170 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 24 मीटर और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(6) वर्ग - VI के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणवित जलयान के लिए होगा जिसकी कुल लंबाई कमतः लगभग 2000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 86 मीटर कुल लंबाई, 14 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टग और दो बाजों के मेल से बने 4000 टन डेड वेट टनेज (लगभग 210 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 14 मीटर और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।

(7) वर्ग - VII के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणवित जलयान के लिए होगा जिसकी कुल लंबाई कमतः लगभग 2000 टन डेड वेट टनेज और उससे अधिक हो (लगभग 86 मीटर कुल लंबाई, 14 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट अथवा उससे बड़े आकार का) अथवा एक टग और चार बाजों के मेल से बने 8000 टन डेड वेट टनेज और उससे अधिक (लगभग 210 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 26 मीटर और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट अथवा उससे बड़े आकार का) हो।

5. इन विनियमों के अधीन वर्गीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग पर बनने वाली सभी नई संरचनाएं दिए गए जलमार्गों के समुचित वर्ग के अपने-अपने ऊर्ध्वार और क्षैतिज निकासी के अनुरूप होंगी।

6. राष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी संरचना के संनिर्माण से पहले बोर्ड भी व्यक्ति प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के लिए इन विनियमों से उदात्त प्रकृत में आवेदन करेंगे।

प्रदीप कुमार
सचिव

उपनाम

प्राधिकरण से संरचना के निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रारूप
(कृपया विनियम 8 देखें)

पूरतगीत संरचना का स्थान :

राष्ट्रीय जलमार्ग

अभिमुक्ति वर्ष :

संरचना के प्रकार :

संरचना के बीच शैलिन निकासी :

उपनाम निकासी (नौवालयन संकेती उभय पाद स्तर से ऊपर)

नजदीक की विद्यमान संरचना से दूरी,
यदि कोई हो :

यदि ऐसा है तो क्या सामान्य
एक शैलिन में है अथवा नहीं

प्रवाह की दिशा के अनुरूप संरचना
की स्थिति :

संनिर्माण की अवधि :

(शैलिन निकासी, उपनाम निकासी और संरचना मानचित्र को इंगित करने वाले उपनामक सामान्य-उत्प्रेक्षिकी
का साका इस प्रारूप के साथ प्रस्तुत करें)

धौषणा

..... के पास में मैं यह कल देता हूँ कि उपर्युक्त उल्लिखित संरचना का संनिर्माण प्राधिकरण से
आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही प्राप्त होगा और संनिर्माण भारतीय अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत
में अन्तरदेशीय जलमार्ग का वर्गीकरण) विनियम, 2006 के अनुसार समुचित वर्ष के जलमार्ग हेतु दिए गए
विशानिर्देश के अनुरूप ही किया जाएगा।

(कार्यालय मुहर)

(राष्ट्रीय शक्ति इकाई)

..... के कृत और निमित्त
अधिकारी का नाम और पदनाम

प्राधिकरण के प्राणित हेतु

राष्ट्रीय जलमार्ग 1 / 2 / 3 के प्रखंड में स्थान पर संरचना के लिए
अनुमति दिए जाने के संदर्भ में राष्ट्रीय को से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
(INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA)

New Delhi, dated the....., 2006

GSR In exercise of the powers conferred by section 35 read with clause (b) of sub-section (2) of section 14 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These regulations may be called the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations, 2006

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) 'act' means the Inland Waterways Authority of India Act, 1985;

(b) 'chairman' means the Chairman of the Authority;

(c) 'inland waterway' means any canal, river, lake or any other navigable water as defined under Inland Vessels Act, 1917;

(d) words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act

3. CLASSIFICATION OF INLAND WATERWAYS - (1) The waterways shall be classified in the following categories for safe plying of self propelled vessels up to 2000 tone Dead Weight Tonnage (DWT) and tug-barge formation in push-tow units of carrying capacity up to 8000 tone, namely -

- (a) Class I - Waterways with the following configuration of navigable channel:-
(i) Rivers: - Minimum of 1.2 metre depth, 30 metre bottom width, 300 metre bend radius, 4 metre vertical clearance and 30 metre horizontal clearance between piers, and
(ii) Canals: - Minimum of 1.5 metre depth, 20 metre bottom width, 300 metre bend radius, 4 metre vertical clearance and 20 metre horizontal clearance between piers.
- (b) Class II - Waterways with the following configuration of navigable channel:-
(i) Rivers: - Minimum of 1.4 metre depth, 40 metre bottom width, 500 metre bend radius, 5 metre vertical clearance and 40 metre horizontal clearance between piers, and
(ii) Canals: - Minimum of 1.8 metre depth, 30 metre bottom width, 500 metre bend radius, 5 metre vertical clearance and 30 metre horizontal clearance between piers.
- (c) Class III - Waterways with the following configuration of navigable channel:-
(i) Rivers: - Minimum of 1.7 metre depth, 50 metre bottom width, 700 metre bend radius, 7 metre vertical clearance and 50 metre horizontal clearance between piers, and
(ii) Canals: - Minimum of 2.2 metre depth, 40 metre bottom width, 700 metre bend radius, 7 metre vertical clearance and 40 metre horizontal clearance between piers.
- (d) Class IV - Waterways with the following configuration of navigable channel:-
(i) Rivers: - Minimum of 2.0 metre depth, 50 metre bottom width, 800 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 50 metre horizontal clearance between piers, and
(ii) Canals: - Minimum 2.5 metre depth, 50 metre bottom width, 800 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 50 metre horizontal clearance between piers.
- (e) Class V - Waterways with the following configuration of navigable channel:-
(i) Rivers: - Minimum of 2.0 metre depth, 80 metre bottom width, 800 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 80 metre horizontal clearance between piers in case of rivers only.

(f) Class VI - Waterways with the following configuration of navigable channel.

(i) Rivers: - Minimum of 2.75 metre depth, 80 metre bottom width, 900 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 80 metre horizontal clearance between piers, and

(ii) Canals: - Minimum of 3.5 metre depth, 60 metre bottom width, 900 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 60 metre horizontal clearance between piers.

(g) Class VII - Waterways with the following configuration of navigable channel.

(i) Rivers: - Minimum of 2.75 metre and above depth, 100 metre and above bottom width, 900 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 100 metre horizontal clearance between piers in case of rivers only.

(2) Vertical clearance for power cables or telephone lines or cables for any transmission purpose for all the classes of waterways mentioned at 3(1) shall be as follows:

- i) Low voltage transmission lines including telephone lines - 16.5 metres
- ii) High voltage transmission lines, not exceeding 110 kilo volt- 19.0 metres
- iii) High voltage transmission line, exceeding 110 kilovolt - 19.0 metres
+ 1 centimetres extra for each additional kilovolt

(3) In case of underwater pipelines, power cables and other cables, norms to be followed shall be decided as per the site conditions and navigational requirement.

Provided that this classification shall be effective only if-

- a) Minimum depth of channel should normally be available for about 330 days of the year.
- b) Vertical clearance at cross structure over the waterway should be available at least in central 75% portion of each of the spans in entire width of the waterway.

Explanation for the purpose of this regulations, - Reference level for vertical clearance in different types of channel shall be-

- i) for rivers, over Navigational High Flood Level (NHFL), which is the highest flood level at a frequency of 9% in any year over a period of last twenty years.
- ii) for tidal canals, over the highest high water level.
- iii) for other canals, over designed full supply level.

4. (1) Class I waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 100 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 32 metre overall length, 5 metre moulded breadth and 1.0 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 200 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 80 metre overall length, 5 metre moulded breadth and 1.0 metre loaded draft)

(2) Class II waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 300 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 45 metre overall length, 8 metre moulded breadth and 1.2 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 600 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 110 metre overall length, 8 metre moulded breadth and 1.2 metre loaded draft)

(3) Class III waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 500 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 58 metre overall length, 9 metre moulded breadth and 1.5 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 1000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 141 metre overall length, 9 metre moulded breadth and 1.5 metre loaded draft)

(4) Class IV waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 1000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 70 metre overall length, 12 metre moulded breadth and 1.8 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 2000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 170 metre overall length, 12 metre moulded breadth and 1.8 metre loaded draft)

(5) Class V waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 1000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 70 metre overall length, 12 metre moulded breadth and 1.8 metre loaded draft) or one tug and four barges combination of 4000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 170 metre overall length, 24 metre moulded breadth and 1.8 metre loaded draft)

(6) Class VI waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 2000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 86 metre overall length, 14 metre moulded breadth and 2.5 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 4000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 210 metre overall length, 14 metre moulded breadth and 2.5 metre loaded draft).

(7) Class VII waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 7000 tonne Dead Weight Tonnage and above (approximate size 86 metre overall length, 14 metre moulded breadth and 2.5 metre loaded draft or with higher dimensions) or one tug and four barges combination of 8000 tonne Dead Weight Tonnage and above (approximate size 210 metre overall length, 28 metre moulded breadth and 2.5 metre loaded draft or with higher dimensions).

5. All the new structures to be constructed across the national waterways classified under these regulations shall conform to the respective criteria of horizontal and vertical clearances of the appropriate class of waterway as provided.

6. Before construction of any structure across the national waterway, any person shall apply in the form annexed to these regulations to obtain clearance from the Authority.

PRADEEP KUMAR
Secy.

Ames.

**FORM FOR GETTING CLEARANCE FOR STRUCTURES
FROM THE AUTHORITY**

(See Regulation 6)

Location of the proposed structure

National Waterway

Notified Class

Type of structure

Horizontal clearance between piers

Number of navigational spans

Vertical clearance (above Navigational High Flood Level)

Distance from the nearest existing
structure, if any,If so, whether the alignment of
piers is in the same line or not?Obliquity of the structure with respect to
direction of flow
Period of construction

(Necessary general engineering lay out drawing indicating the horizontal clearance,
vertical clearance and location map to be submitted with this form)

DECLARATION

On behalf of I do hereby undertake that the construction of the above
mentioned structure will commence only after obtaining necessary clearance from the Authority
and the construction will be carried out in conformity with the stipulated guidelines for the
appropriate Class of waterway as per the Inland Waterways Authority of India (Classification of
Inland Waterways in India) Regulation, 2006.

(signature with date)

(Office seal)

For and on behalf of
Name and Designation of the officer

FOR THE USE OF AUTHORITY

Received an application dated from in respect of
clearance for structure at in stretch of National Waterway 1/2/3.

Clearance issued/ rejected

Dated